



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61666

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 6185/2026**

श्रीमती बासमती

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रशांत यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 80**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"(I) जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा मामला संख्या 2425/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202415060002425, सरकार बनाम बासमती में उत्तर प्रदेश गौ वध अधिनियम 1955 की धारा 5(A) के तहत और आयुक्त आजमगढ़, मंडल आजमगढ़ द्वारा पुनरीक्षण संख्या 38/A/2025 कम्प्यूटरीकृत केस संख्या C202515000002469 में उत्तर प्रदेश गौ वध अधिनियम 1955 की धारा 5A(8) के तहत दिनांक 15.5.2025 और 21.1.2026 को पारित किए गए निर्णयों और आदेशों को अपास्त किया जाए।

"(II) याचिकाकर्ता के वाहन पिकअप संख्या UP50DT 5298 को छोड़ने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 21.08.2024 को अहौला थाना, जिला आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम, 1955 (जिसे आगे "अधिनियम, 1955" कहा गया है) की धारा 3/5ए/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (जिसे आगे "अधिनियम, 1960" कहा गया है) की धारा 11 के तहत मामला संख्या 367/2024 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि सह-आरोपी मुन्ना उर्फ कटारी वाहन चला रहा था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अन्य व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल रहे। यह भी कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति वाहन/पिकअप संख्या यूपी 50 डीटी 5298 का उपयोग करके गायों और उनके बछड़ों का परिवहन कर रहे थे।

4. पुलिस ने मामले की जांच की और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि याचिकाकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने 29.08.2024 को उक्त वाहन को जब्त करने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन अग्रेषित किया। आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने 15.05.2025 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता एक विधवा महिला हैं और वाहन/पिकअप संख्या यूपी 50 डीटी 5298 की एकमात्र मालिक हैं। उन्होंने आगे बताया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, गोमांस बरामद नहीं हुआ है और आरोप केवल गायों और उनके बछड़ों के परिवहन से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी गाय के बछड़े को नहीं मारा गया और उक्त वाहन से कोई गोमांस बरामद नहीं हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वाहन की ज़बती के कारण याचिकाकर्ता अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।

6. याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि उक्त वाहन की पंजीकृत मालिक थीं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। घटना की तारीख को उक्त वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा दस्तावेज पुलिस के पास थे। हालांकि, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता वाहन की एकमात्र पंजीकृत मालिक हैं। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के दौरान, किसी अन्य व्यक्ति ने वाहन पर स्वामित्व का दावा नहीं किया।

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



यह भी निवेदन किया गया है कि वाहन को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखने से उसका मूल्य कम हो सकता है और अंततः वह कबाड़ बन सकता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी; हालाँकि, उस पर विचार नहीं किया गया और आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.05.2025 के आदेश द्वारा उसके उपरोक्त वाहन को जब्त कर लिया।

8. दिनांक 15.05.2025 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आजमगढ़ के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे बाद में वाद संख्या 2469/2025 के रूप में माना गया। उक्त पुनरीक्षण याचिका को भी आयुक्त ने दिनांक 21.01.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। आयुक्त ने मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले/पुनरीक्षण याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

9. दिनांक 15.05.2025 और 21.01.2026 के उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 5-ए की उपधारा (7) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त किए गए अपने वाहन/पिकअप संख्या यूपी 50 डीटी 5298 को छुड़ाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष यह रिट याचिका दायर की है।

10. सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (46) एसीसी 223 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि हमारी राय में, चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसे जब्त वाहनों को पुलिस थानों में लंबे समय तक रखना व्यर्थ है। मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उचित बांड और गारंटी तथा सुरक्षा लेकर उक्त वाहनों की वापसी के लिए तत्काल उचित आदेश पारित करे, यदि किसी भी समय आवश्यकता हो। ऐसे वाहनों की वापसी के लिए आवेदनों की सुनवाई लंबित रहने के दौरान ऐसा किया जा सकता है।

11. विद्वान एजीए ने प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 5-ए की उपधारा (7) के तहत वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत थे। आगे यह निवेदन किया गया कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है।

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



12. मैंने दोनों पक्षों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

13. यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त वाहन का स्वामी है। किसी अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ता के चालक को उपरोक्त मामले में जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में आरोपी नहीं है।

14. अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और उसके बछड़ों की हत्या को रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम है। अधिनियम, 1955 की धारा 5-ए को पुनः प्रस्तुत किया गया है:

**"5-ए. गाय आदि के परिवहन पर विनियमन - (1)** कोई भी व्यक्ति किसी गाय, बैल या बछड़े का परिवहन नहीं करेगा, जिसका वध उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर इस अधिनियम के तहत दंडनीय है, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित आदेश द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत और ऐसे परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, बैल या बछड़े के लिए [पांच सौ रुपये] से अधिक न होने वाले शुल्क के भुगतान पर परमिट जारी करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जहां परमिट गाय, बैल या बछड़े के परिवहन के लिए परमिट में निर्दिष्ट छह महीने से अधिक की सीमित अवधि के लिए है।

(3) जहां सीमित अवधि के परमिट पर गाय, बैल या बछड़े का परिवहन करने वाला व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, बैल या बछड़े को राज्य में वापस नहीं लाता है परमिट न होने पर, उसे उपधारा (1) के प्रावधान का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

(4) परमिट का प्रपत्र, उसके लिए आवेदन का प्रपत्र और ऐसे आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, किसी भी समय, इस धारा के तहत की गई कार्रवाई की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवाकर उसकी जांच कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) जहां उक्त वाहन को इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है, तो परिवहन से संबंधित चालक, संचालक और स्वामी पर इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि अपराध में प्रयुक्त परिवहन माध्यम, सभी सावधानियों के बावजूद और उसकी जानकारी के बिना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(7) इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जिस वाहन से गोमांस या गाय और उसके बछड़ों का परिवहन किया जाता है, उसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

(8) जब्त किए गए वाहन द्वारा परिवहन की गई गाय और उसके बछड़ों या गोमांस को भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जब्ती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

(9) जब्त की गई गायों और उनके बछड़ों के भरण-पोषण पर किया गया व्यय, एक वर्ष की अवधि के लिए या गाय और उसके बछड़ों को उनके मालिक के पक्ष में रिहा किए जाने तक, जो भी पहले हो, आरोपी से वसूल किया जाएगा।

(10) जहां किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत किसी अपराध को करने, उसमें सहायता करने या उसका प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के कब्जे में गोमांस या गाय

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अवशेष सिद्ध हो जाते हैं और सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा परिवहन की गई वस्तु को गोमांस होने की पुष्टि हो जाती है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है या ऐसे अपराध का प्रयास किया है या उसमें सहायता की है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।

(11) जहां इस अधिनियम या संबंधित नियमों के प्रावधान तलाशी, अधिग्रहण, निपटान और ज़बती के संदर्भ में मौन हैं, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रासंगिक प्रावधान प्रभावी होंगे।

15. अधिनियम, 1955 की धारा 5-ए, विधि प्रवर्तन अधिकारियों को किसी भी वाहन को जब्त करने का अधिकार देती है जिसके द्वारा गोमांस या गाय और उसके बछड़ों का परिवहन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ज़बती और रिहाई की सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं।

16. उपरोक्त धारा 5-ए (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी गाय, बैल या बछड़े का परिवहन नहीं करेगा, परिवहन के लिए पेश नहीं करेगा या परिवहन का कारण नहीं बनेगा, जिसका वध उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर इस अधिनियम के तहत दंडनीय है, राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी परमिट के अलावा, और धारा 5-ए के उपखंड (7) के अनुसार, वह वाहन, जिसके द्वारा गोमांस या गाय का परिवहन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या उसके वंशज को इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ले जाया जा रहा है, तो उसे कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त, मामले के अनुसार, ज़बती और रिहाई की सभी कार्यवाही करेंगे।

17. यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 21.01.2026 के आक्षेपित आदेश द्वारा, आजमगढ़ के आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. यह स्वीकार किया जाता है कि वाहन के अंदर गोमांस नहीं पाया गया, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि इन गायों या उनके बछड़ों की तस्करी वध के लिए की जा रही थी। वाहन में वध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोई उपकरण नहीं मिला। इस प्रकार, न्यायालय की राय में, राज्य के भीतर गायों या उनके बछड़ों का मात्र परिवहन अपराध नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **कालिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य, 2023 0 सुप्रीम (अल्लाह) 1325** में व्यक्त किया था, जिसमें जब गायों या उनके बछड़ों को राज्य के भीतर ले जाया जा रहा था, तो परमिट की आवश्यकता से इनकार कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट का आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय का ज़बती आदेश कानून में गलत पाया गया था और रद्द कर दिया गया था।

19. जहां तक रिट याचिका की स्वीकार्यता का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय के **धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम (2009) 64 एसीआरसी 962** के मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि धारा 482 सीआरपीसी या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपलब्ध उपाय को केवल इसलिए सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध है। वैकल्पिक उपाय संविधान के अनुच्छेद 226/227 या सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में बाधक नहीं है, अतः विद्वान एजीए की आपत्ति खारिज हो जाती है।

20. चूंकि याचिकाकर्ता का वाहन पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से संबंधित पुलिस स्टेशन के खुले परिसर में खड़ा है और उसकी देखरेख नहीं की जा रही है तथा वह दिन-प्रतिदिन कबाड़ होता जा रहा है, इसलिए **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (उपरोक्त)** के फैसले के अनुसार, संबंधित वाहन को छोड़ने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

21. अतः, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। आजमगढ़ आयुक्त द्वारा दिनांक 21.01.2026 को पारित आदेश और आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.05.2025 को पारित आदेश को **निरस्त** किया जाता है।

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



22. आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.05.2025 के आदेश द्वारा जब्त किए गए वाहन/पिकअप संख्या यूपी 50 डीटी 5298 को मालिक/याचिकाकर्ता के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती और व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करे:-

1. याचिकाकर्ता मामले के लम्बित रहने के दौरान वाहन का निपटान नहीं करेगा।
2. याचिकाकर्ता मामले के लम्बित रहने के दौरान वाहन का स्वरूप नहीं बदलेगा।
3. याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर अपने खर्च पर वाहन को संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 मार्च, 2026

एपी पांडे

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।